प्रेस–विज्ञप्ति (12.03.2013)

माननीय मुख्यमंत्री जी ने सदन में बजट पर हुये सामान्य वाद–विवाद का उत्तर देते समय आज निम्नलिखित घोषणाएं कीं:–

- ❖ अजमेर में रूपनगढ़ से जिला सीमा तक सड़क के नवीनीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य कराया जायेगा।
- ❖ चौंमू–महला वाया रेनवाल–जोबनेर सड़क पर आसलपुर रेलवे फाटक पर आर.ओ.बी. का निर्माण किया जायेगा।
- ❖ सावर–महरूकलां–कादेड़ा–कादोलाई सड़क का उच्चीकरण किया जायेगा।
- ❖ धीरेरा–जगदेवाला सम्पर्क मार्ग तथा पीपेरा रेलवे स्टेशन पर अण्डर ब्रिज के निर्माण का कार्य हाथ में लिया जायेगा।
- ❖ थाना मेवाड़ से गुजरात राज्य सीमा को जोड़ने वाली सड़क की चौड़ाई, 45 करोड़ रुपये की लागत से, बढ़ाकर इस सड़क को 2 लेन में क्रमोन्नत करना प्रस्तावित है।
- ❖ पंचायत सादी से हमीरगढ़ (भीलवाड़ा बोर्डर तक) की सड़क का डामरीकरण किया जाना प्रस्तावित है।
- ❖ जैतारण शहर की रिंग रोड़ के निर्माण का कार्य हाथ में लिया जायेगा। रिंग रोड़ के निर्माण पर लगभग 5 करोड़ रुपये की लागत आयेगी।
- ❖ राजकीय भवनों एवं सड़कों के निर्माण की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से एक स्वतंत्र Rajasthan Quality Control Authority की स्थापना करने की मैं घोषणा करता हूँ।
- ❖ बजट में मैंने जोधपुर में 'रूफ–टॉप पॉवर जेनरेशन स्कीम' लागू करना प्रस्तावित किया था। अब मैं जोधपुर के अतिरिक्त जयपुर एवं अजमेर शहरों में भी 'रूफ–टॉप पॉवर जेनरेशन स्कीम' लागू करने की घोषणा करता हूँ।
- ❖ कोटड़ी नदी पर 15 करोड़ रुपये की लागत से बांध का निर्माण कर सीकर जिले के खण्डेला शहर तथा उसके आस–पास के गाँवों में पेयजल उपलब्ध करवाया जायेगा।
- ❖ बजट में नर्मदा नहर से गुढ़ामलानी एवं शिव तहसीलों के 345 समस्याग्रस्त गाँवों को पेयजल उपलब्ध कराने की घोषणा की गई थी। इस परियोजना में तहसील रामसर के गाँव भी सम्मिलित होंगे।
- ❖ टोंक जिले की टोडारायसिंह पंचायत समिति के ग्राम ढ़ीबरू में बांध की, 2 करोड़ 50 लाख रुपये की लागत से, ऊँचाई बढ़ाई जायेगी, जिसके परिणामस्वरूप 120 हैक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई क्षमता सृजित होगी।
- ❖ जाखम परियोजना के नहरों की मरम्मत, नवीनीकरण, सुदृढ़ीकरण एवं जीर्णोद्धार हेतु 50 करोड़ रुपये का प्रावधान किया जायेगा।
- ❖ जिला चित्तौड़गढ़ की पंचायत समिति रावतभाटा में स्थित मण्डेसरा बांध का 90 लाख रुपये की लागत से सुदृढ़ीकरण एवं मरम्मत का कार्य करवाया जायेगा।
- ❖ गोरधा (बिसुन्दरी), लसाड़िया एवं पारा (द्वितीय) बांधों का 12 करोड़ 50 लाख रुपये की लागत से सुदृढ़ीकरण करवाया जायेगा।
- ❖ माही नदी पर हनुमान मंदिर के पास चिबुड़ा पंचायत समिति सागवाड़ा जिला डूंगरपुर में 25 करोड़ रुपये की लागत से एनिकट का निर्माण करवाया जायेगा।
- ❖ मोरन नदी पर खिरेश्वर महादेव मंदिर के पास खडगदा एवं लोनेश्वर महादेव मंदिर के पास पंचायत समिति सागवाड़ा जिला डूंगरपुर में 7 करोड़ 50 लाख रुपये की लागत से एनिकटों का निर्माण करवाया जायेगा।
- ❖ डूंगरपुर जिले की डूंगरपुर तहसील में लोडवाल, पादरडी, मौताली एवं धरतीमाता तलैया में 4 एनिकटों का निर्माण 4 करोड़ 70 लाख रुपये की लागत से करवाना प्रस्तावित है।
- ❖ जिला डूंगरपुर के सोमकमला अम्बा बांध की रायकी लिफ्ट परियोजना से 2 हजार हैक्टेयर अतिरिक्त क्षेत्र में 32 करोड़ रुपये की लागत से स्प्रिंक्लर पद्धति से सिंचाई सुविधा उपलब्ध करवाई जायेगी।

- जाखम नदी पर गोल, खुदरडा एवं कानोडिया एनिकटों का 27 करोड़ रुपये की लागत से निर्माण करवाया जायेगा।
- बारां जिले की महत्त्वाकांक्षी परवन वृहद सिंचाई एवं पेयजल योजना की क्रियान्विति हेतु लगभग सभी आवश्यक औपचारिकताएं पूर्ण कर ली गई हैं। इस परियोजना का कार्य शीघ्र प्रारम्भ करने का प्रयास किया जायेगा।
- वर्ष 2012–13 की बजट घोषणा के अनुसरण में स्थापित किये जा रहे 3 हजार उप–स्वास्थ्य केन्द्रों के भवन निर्माण का कार्य हाथ में लिया जायेगा, जिसकी लागत लगभग 52 करोड़ रुपये है। इसके अतिरिक्त प्रतापनगर, जोधपुर में स्थित डिस्पेंसरी को सेटेलाइट अस्पताल में क्रमोन्नत करना प्रस्तावित है।
- जोधपुर में मेडिकल कॉलेज एवं सम्बद्ध अस्पतालों के चिकित्सकों एवं अन्य कार्मिकों के आवास निर्माण हेतु 10 करोड़ रुपये की राशि उपलब्ध कराई जायेगी।
- राज्य में स्ववित्तपोषित योजनांतर्गत संचालित अभियांत्रिकी महाविद्यालयों में कक्षाओं, कंप्यूटर सेंटर व पुस्तकालय तथा छात्रावासों के निर्माण हेतु आगामी वर्ष 8 करोड़ रुपये की राशि उपलब्ध करवाई जायेगी।
- बजट में घोषित शुभलक्ष्मी योजना के अन्तर्गत देय राशियों को 1 हजार रुपये से बढ़ाकर 2 हजार 100 रुपये तथा 2 हजार रुपये को बढ़ाकर 3 हजार 100 रुपये किया जायेगा। यह राशि जननी सुरक्षा योजना के अन्तर्गत देय राशि के अतिरिक्त होगी।
- आर्थिक रूप से पिछड़े (EBC) लोगों के लिये 200 करोड़ रुपये का एक विशेष पैकेज लागू करने की मैं घोषणा करता हूँ। इस पैकेज के अन्तर्गत उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, रोज़गार एवं सामाजिक सुरक्षा से सम्बन्धित विभिन्न कार्यक्रम हाथ में लिये जायेंगे।
- राज्य में भरतपुर संभाग के अलावा सभी संभागीय मुख्यालयों पर बालिका गृह संचालित हैं। अतः मैं भरतपुर संभागीय मुख्यालय पर भी 1 करोड़ रुपये की राशि से वर्ष 2013–14 में बालिका गृह की स्थापना की जाने की घोषणा करता हूँ।
- ग्रामीण इलाकों को स्वच्छ बनाने के साथ–साथ, स्वच्छकारों की दशा में सुधार करने उद्देश्य से आगामी वर्ष निर्मल भारत अभियान के अंतर्गत केन्द्र सरकार के सहयोग से घरेलू शौचालयों के निर्माण हेतु 100 करोड़ रुपये की सहायता राशि उपलब्ध करवाई जायेगी। इसके अतिरिक्त, एक हजार गाँवों में 50 करोड़ रुपये की लागत से, नालियों का निर्माण, हैंडपंपों पर पशुओं हेतु खेळियों एवं सोख्ता गड्ढों (सोक–पिट) का निर्माण किया जायेगा।
- बजट में महात्मा गाँधी नरेगा योजनान्तर्गत परिसम्पत्ति निर्माण निधि के अन्तर्गत पारम्परिक जल स्त्रोतों के पुनरुद्धार के कार्य कराना प्रस्तावित किया गया था। अब इस निधि का उपयोग नरेगा योजना के अन्तर्गत RUB एवं अन्य अनुमत कार्यों हेतु भी परिसम्पत्तियों के निर्माण के लिये करना प्रस्तावित है।
- बांसवाड़ा में आनन्दपुरी, भरतपुर में डीग एवं अलवर में रामगढ़ के पंचायत समिति भवनों का 1 करोड़ 50 लाख रुपये की लागत से पुनरुद्धार करवाया जायेगा।
- अजमेर जिले में केकड़ी में सहायक निदेशक, कृषि (विस्तार) कार्यालय खोला जायेगा।
- राज्य में संचालित कृषि विभाग की विभिन्न प्रयोगशालाओं के सुदृढ़ीकरण हेतु 171 नवीन पदों का सृजन किया जायेगा। इसके अतिरिक्त कृषि उपज मण्डी समितियों के विभिन्न श्रेणी के 650 रिक्त पदों को भरा जायेगा।
- वर्ष 2012–13 के बजट में कृषि क्षेत्र में कृषकों द्वारा लगाई जाने वाली प्रसंस्करण इकाइयों के प्रोत्साहन हेतु सहायता देने की योजना लागू की गई थी। इससे पूर्व लागू योजना वर्ष 2010–11 में ही समाप्त हो गई थी। अब यह प्रस्तावित है कि वर्ष 2011–12 की अवधि में स्थापित पात्र प्रसंस्करण इकाइयों को भी पूर्व में लागू योजना के अन्तर्गत सहायता उपलब्ध कराई जायेगी।

- ❖ आगामी वर्ष राज्य में 500 नई ग्राम सेवा सहकारी समितियों का गठन प्रस्तावित है। इन सहकारी समितियों को कार्यालयों एवं गोदामों के निर्माण हेतु 10–10 लाख रुपये की सहायता उपलब्ध कराई जायेगी। साथ ही TSP क्षेत्र में स्थापित होने वाली LAMPS समितियों को seed capital हेतु भी सहायता उपलब्ध कराई जायेगी।
- ❖ गौ–सेवा से जुड़ी हुई विभिन्न संस्थाओं ने मुझसे मिलकर प्रदेश में गौ–रक्षा के सम्बन्ध में अपनी भावनाओं से अवगत कराया है। विभिन्न संगठनों के ज्ञापन भी हमें प्राप्त हुए हैं। गौ–रक्षा के लिये पृथक से योजना संचालित करना आवश्यक प्रतीत होता है, जिसके अन्तर्गत चारा उत्पादन को बढ़ावा देना एवं चारागाहों का विकास शामिल है। अतः इन उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु प्रदेश में गौ–सेवा निदेशालय स्थापित करना प्रस्तावित है। इस निदेशालय के माध्यम से गौ–रक्षा एवं गौ–वंश के संवर्धन के विभिन्न कार्यक्रमों के संचालन हेतु 25 करोड़ रुपये की राशि का प्रावधान किया जाना प्रस्तावित है।
- ❖ भीलवाड़ा सहकारी डेयरी में 20 करोड़ रुपये की लागत से दूध के पाउडर का प्लांट स्थापित किया जायेगा।
- ❖ प्रदेश में वन एवं वन्यजीव संरक्षण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से जयपुर में 'Center of Excellence for Forests and Wildlife Management' स्थापित किया जायेगा तथा इसका एक उप–केन्द्र रणथम्भौर में भी खोला जायेगा।
- ❖ साईबेरियन क्रेन, जोकि विश्व की दुर्लभ प्रजातियों में से एक है, के संरक्षण हेतु केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में सेमी–केप्टिव एक्जीबिट सेंटर बनाया जायेगा।
- ❖ वन विभाग के सुदृढ़ीकरण की दृष्टि से संवेदनशील रेन्जों हेतु 144 वाहन उपलब्ध कराये जायेंगे तथा रेन्जर्स के 90 पद सहायक वन रक्षकों में एवं 33 सहायक वन रक्षकों के पदों को उप वन संरक्षक में क्रमोन्नत किया जायेंगे।
- ❖ जोधपुर नगर निगम को शहरी यातायात सुगम बनाने हेतु 10 करोड़ रुपये की अतिरिक्त वित्तीय सहायता दी जायेगी।
- ❖ प्रदेश में डूबने जैसी घटनाओं के समय बचाव करने की दृष्टि से सभी सम्भागीय मुख्यालयों पर 10–10 गोताखोर नियोजित किये जायेंगे। इसके साथ ही आवश्यक उपकरणों की भी व्यवस्था की जायेगी। इस हेतु आगामी वर्ष 7 करोड़ रुपये का प्रावधान प्रस्तावित है।
- ❖ जैसलमेर के सोनार किले में सीवरेज़ एवं टेलीफोन तथा बिजली के तारों की डक्टिंग इत्यादि के कार्यों हेतु 2 करोड़ रुपये उपलब्ध करवाये जायेंगे।
- ❖ मकराना नगर परिषद तथा शाहपुरा (भीलवाड़ा) एवं पीपाड़ नगर पालिकाओं के भवनों के निर्माण हेतु 1–1 करोड़ रुपये की राशि उपलब्ध करावाई जायेगी। इसके अतिरिक्त स्वायत्त शासन भवन के विस्तार हेतु 2 करोड़ रुपये एवं डीडवाना कस्बे में ड्रेनेज़ के कार्य हेतु 1 करोड़ रुपये की राशि उपलब्ध करवाई जायेगी।
- ❖ गत दिनों में शहरों में सफाई व्यवस्था हेतु JNNURM कार्यक्रम के अन्तर्गत लगाई गई शर्तों को दृष्टिगत रखते हुए User Charges वसूल करना प्रारम्भ किया गया था। अब मैं इसे समाप्त करने की घोषणा करता हूँ।
- ❖ अलवर में किशनगढ़बास, दौसा में महुआ, बूंदी में हिण्डौली एवं कोटा में इटावा में पंचायतों के स्थान पर नई नगर पालिकाएं स्थापित की जायेंगी।
- ❖ दौसा जिले के सिकंदरा में शिल्प पार्क बनाया जायेगा।
- ❖ गृह रक्षा एवं नागरिक सुरक्षा के स्वयं सेवकों को वर्तमान में देय 220 रुपये प्रति दिवस ड्यूटी भत्ते को बढ़ाकर 300 रुपये प्रति दिवस करने की मैं घोषणा करता हूँ।
- ❖ वर्तमान सेवा नियमों के अन्तर्गत पुलिस उप निरीक्षक एवं प्लाटून कमाण्डर के पदों से पुलिस निरीक्षक एवं कम्पनी कमाण्डर के पदों पर पदोन्नति परीक्षा के माध्यम से की जाती है। इस प्रक्रिया की व्यवहारिक कठिनाइयों को देखते हुए यह प्रस्तावित है कि भविष्य में ये पदोन्नतियाँ वरिष्ठता एवं योग्यता के आधार पर विभागीय पदोन्नति समितियों की अभिशंसा के आधार पर की जायेंगी।

- ❖ सरदार बल्लभ भाई पटेल पुलिस विश्वविद्यालय, जोधपुर के अधीन **'सामाजिक सुरक्षा एवं जेंडर अध्ययन केन्द्र'** स्थापित किया जायेगा। इस केन्द्र के माध्यम से बालक–बालिकाओं की सामाजिक सुरक्षा एवं जेंडर संवेदनशीलता के विषयों पर शोध के साथ–साथ पुलिसकर्मियों को प्रशिक्षण भी दिया जायेगा।
- ❖ आगामी वर्ष संभागीय मुख्यालय भरतपुर में क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला की स्थापना की जायेगी।
- ❖ बजट में की गई घोषणा के अतिरिक्त निम्नानुसार पुलिस चौकियों को थानों में क्रमोन्नत किया जायेगा, नवीन थाने तथा चौकियाँ स्थापित की जायेंगीः–
  - ➢ चौकियों से थानों में क्रमोन्नयन–
    झुन्झुनू में पचेरी, भीलवाड़ा में मंगरोप, जयपुर में पणियाला (कोटपूतली), उदयपुर में टीडी, जोधपुर ग्रामीण में चाखू एवं सवाईमाधोपुर में बाटोदा।
  - ➢ नये थाने–
    जयपुर, जोधपुर व उदयपुर में पर्यटक पुलिस थाने एवं बाड़मेर ग्रामीण पुलिस थाना, जयपुर में मैट्रो पुलिस स्टेशन, तूंगा एवं कोटखावदा तथा उदयपुर में बवलवाड़ा।
  - ➢ चौकियाँ–
    श्रीगंगानगर में भातिवाला एवं मोकमवाला, हनुमानगढ़ में बशीर गाँव (टिब्बी), कोटा ग्रामीण में मोईकलां, जयपुर ग्रामीण में गोरधनपुरा (कोटपूतली), सरूंड (कोटपूतली) एवं चतरभुज, करौली में सलेमपुर, गंगापुर मोड़ एवं सिंघणपुर, अजमेर में पीपलाज, उदयपुर में कस्बास (आसीन) एवं जावद (सराड़ा), सवाईमाधोपुर में अमरावरा एवं कस्बा लहसौड़ा (खण्डार), भीलवाड़ा में फुलियाकलां, स्टेण्ड गुलाबपुरा एवं बस स्टेण्ड आसीन्द, तथा चित्तौड़गढ़ में मन्डेसरा, पुठोली एवं रावडदा जोगणियां माता।
- ❖ निम्नानुसार थानों को निरीक्षक स्तर में क्रमोन्नत किया जायेगा–
  - ➢ आयुक्तालय जयपुर के जवाहर सर्किल, प्रतापनगर, मुहानामण्डी, करधनी, करणी विहार, शिवदासपुरा, कानोता, कालवाड़, सेज़ (Special Economic Zone), महिला थाना पूर्व एवं महिला थाना पश्चिम, बीकानेर में महाजन, लूणकरणसर एवं जयनारायण व्यास कॉलोनी, जोधपुर में बाप, झुन्झुनू में बुहाणा, भीलवाड़ा में आसीन्द, चित्तौड़गढ़ में सदर थाना, अलवर में भिवाड़ी फ़ेज तृतीय एवं एन.बी.ई.। इसके अतिरिक्त प्रदेश के सभी 38 महिला थानों को निरीक्षक स्तर में क्रमोन्नत किया जायेगा।
- ❖ आगामी वर्ष झुन्झुनू में बुहाना, भीलवाड़ा में आसीन्द एवं चित्तौड़गढ़ में रावतभाटा में नये वृत्त कार्यालय खोले जायेंगे। इसके साथ ही जालौर में भीनमाल में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कार्यालय खोला जायेगा।
- ❖ केकड़ी में जिला परिवहन कार्यालय स्थापित किया जायेगा।
- ❖ दौसा में रामगढ़ पचवारा, अजमेर में सावर, अलवर में गोविन्दगढ़ एवं बाड़मेर में समदड़ी तथा गीडा उपतहसीलों को तहसीलों में क्रमोन्नत किया जायेगा।
- ❖ निम्नानुसार नई उपतहसीलें स्थापित की जायेंगीः–
  - ➢ झुन्झुनू में सिंघाना, श्रीगंगानगर में समेजाकोठी, हनुमानगढ़ में तलवाड़ा झील, टोंक में दूनी, दत्तवास, सवाईमाधोपुर में मित्रपुरा तथा भावरा, उदयपुर में झालरा, जैसलमेर में फलसूण्ड, दौसा में बहरावण्डा, अजमेर में अरडका, भीलवाड़ा में बडलियास, शम्भूगढ़, रायला, पण्डेर, बूंदी में कापरेन, बारां में सीसवाली, जयपुर में अमरसर, अलवर में हरसौली तथा टहला एवं नागौर में नीम्बी जोधा, भकरी।
- ❖ देशी एवं विदेशी पर्यटकों, व्यवसायियों और आम नागरिकों को इंटरनेट के माध्यम से विभिन्न सेवायें उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से मैं यह घोषणा करता हूँ कि जयपुर शहर में 50 स्थानों पर वाई–फाई हॉट स्पॉट विकसित किये जायेंगे।

- विभिन्न सरकारी सूचनाओं एवं सेवाओं की पहुँच आम नागरिकों तक, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ाने के उद्देश्य से सूचना प्रौद्योगिकी एवं मोबाइल टेलीफोनी का एकीकरण कर विभिन्न विभागों की कम से कम एक सेवा, प्रदेशवासियों को मोबाइल के माध्यम से उपलब्ध करवाई जायेगी।
- मैंने वर्ष 2011–12 में राज्य में स्टील उद्योग की माँग पर एवं इनके अन्तर्राज्यीय विक्रय को बढ़ावा देने के उद्देश्य से स्टेनलेस स्टील शीट्स तथा सर्किल्स पर लगने वाले कर दर को घटाकर 1 प्रतिशत किया था तथा वर्ष 2012–13 में स्टेनलेस स्टील शीट्स तथा सर्किल्स के विनिर्माण में उपयोग में आने वाले स्टेनलेस स्टील फ्लैट्स पर लगने वाले कर दर को 5 प्रतिशत से घटाकर 1 प्रतिशत किया था। अब इसी क्रम में, मैं राज्य में स्टेनलेस स्टील बर्तनों पर वैट की वर्तमान दर 5 प्रतिशत से घटाकर 1 प्रतिशत किये जाने की घोषणा के साथ–साथ इसके अन्तर्राज्यीय कारोबार को प्रतिस्पर्धात्मक बनाने के उद्देश्य से स्टेनलेस स्टील बर्तनों पर केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम के अन्तर्गत लगने वाले कर दर को भी 1 प्रतिशत करने की घोषणा करता हूँ।
- मैंने वर्ष 2011–12 के बजट में बिजली की बचत को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एल.ई.डी. लैम्प पर कर दर 14 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत किया था। इसका दायरा बढ़ाते हुए अब एल.ई.डी. टॉर्च, एल.ई.डी. फ्लैश लाइट, एल.ई.डी. इमरजेंसी लैम्प तथा एल.ई.डी. लैन्टर्न पर भी कर दर 14 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत करने की घोषणा करता हूँ।
- राज्य में पुलिस कैन्टीनों में बिकने वाले सामान हेतु VAT में रियायत देने के सम्बन्ध में वित्त विभाग द्वारा आदेश जारी किये जायेंगे।
- कर में छूट सम्बन्धी घोषणाएं अधिसूचना जारी करने की तिथि से प्रभावी होंगी।